भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

सं. 1–13/2005–बी एण्ड सीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13–1/2004–आरईएसटीजी से निर्गत अधिसूचना सं. 39 [एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनाँक 09/01/2004] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv) तथा, उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदे ा "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (तीसरा सं ाोधन) आदे ा 2005 (2005 का 8)" कहा जाएगा।

(ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदे ा 1.1.2006 से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (दूसरा सं ाोधन) आदे ा 2004 (2004 का 8) के साथ पठित दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा 2004 (2004 का 6) के पैरा 3 के खण्ड (ग) में "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित)" भाब्दों के तत्काल बाद " 'फ्री टू एयर' तथा 'पे चैनल' दोनों के मामले में 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर, जमा 7% अधिकतम सीमा होगी" के वर्तमान भाब्द तथा आंकड़ों के स्थान पर निम्नलिखित भाब्द तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं :

> "1.1.2006 से फ्री टू एयर तथा पे चैनलों दोनों के मामले में 26.12.2003 को मौजूद दर, जिसमें 1.1.2005 से 7% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी जमा इस प्रकार बढ़ाए गए प्रभारों का 4% अधिकतम सीमा होगी।"

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदे ा के साथ अनुलग्नक 'क' के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

आदे ाानुसार,

राके ा कक्कड़, कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार (बी एंड सीएस.)

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/142/2005 असा.]

अनुलग्नक – क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. ट्राई ने 1.10.2004 के अपने यथासं ोधित आदे ा के माध्यम से केबल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटरों द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/ब्राडकास्टरों (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां सहित) को, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा ब्राडकास्टरों (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां सहित) को करों को छोड़कर भुगतान किए जाने वाले केबल प्रभार फ्री टू एयर तथा पे चैनल दोनों के मामलें में 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद स्तर पर फ्रीज कर दिया था। यथासं ोधित टैरिफ आदे ा में 26.12.2003 के बाद भारू किए जाने वाले नए पे चैनल (चैनलों) अथवा उस तारीख को मौजूद ऐसे एफटीए चैनल (चैनलों) जिन्हें बाद में पे चैनल में बदला जाए अथवा 26.12.2003 को द ाए जाने वाले ऐसे पे चैनलों की संख्या में कमी किए जाने पर कतिपय भार्तों के अन्तर्गत इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने या घटाने की भी अनुमति प्रदान की गई थी।

2. टीवी चैनलों के प्रसारण तथा वितरण से संबंधित मुद्दों के संबंध में 1.10.2004 की विस्तृत सिफारि ों में ट्राई ने कीमत विनियम उस समय तक जब तक प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं सृजित होती, अस्थाई तौर पर लागू करने तथा यह कि प्रभावी प्रतिस्पर्धा के प्रमाण प्राप्त होने पर कीमत विनियम वापस लेने का संकेत दिया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अगले 6–9 माह में बाजार में और अधिक डीटीएच प्लेयरों के आने की आ ा है, जिससे केबल उद्योग में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सृजित होने की संभावना है। समय के साथ–साथ लागत में मुद्रास्फीति के लिए प्रावधान करने की आव यकता को समझते हुए इन सिफारि ों में यह भी प्रावधान किया गया था कि इस प्रकार निर्धारित अधिकतम सीमा की समय–समय पर मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु समीक्षा की जाएगी।

3. मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए पहली आवधिक समीक्षा नवम्बर, 2004 में की गई और 26.12.2003 को मौजूद केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा पर 7% की वृद्धि का प्रावधान करने के लिए 1.10.2004 के टैरिफ आदे ा में आगे सं ोधन करने के लिए 1.12.2004 को एक अधिसूचना जारी की गई। यह वृद्धि 1.1.2005 से लागू की गई।

4. चूंकि लगभग एक वर्श बीत गया है इसलिए 1 जनवरी, 2006 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए एक और समीक्षा का समय हो गया है इसलिए मुद्रास्फीति के समायोजन की दर का निर्धारण करने की कार्रवाई की गई। इस प्रयोजन के लिए, पिछली समीक्षा की तरह ही थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया गया।

5. वृद्धि दर का निर्णय करने में प्राधिकरण ने बिन्दु से बिन्दु के आधार पर आकलित मुद्रास्फीति की वार्शिक वृद्धि दर का इस्तेमाल किया। इन सूचकांकों के आंकड़े 5.11.2005 को समाप्त सप्ताह की अवधि तक के लिए उपलब्ध थे। 8.10.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति की वार्शिक दर 4.62% सूचित की गई थी। 5.11.2005 तक के प चातवर्ती सप्ताहों के लिए मुद्रास्फीति की दर घट–बढ़ के साथ 4.75% (29.10.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए) से

4.14% (5.11.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए) के बीच अलग–अलग रही। यह स्पश्ट नहीं है कि क्या वृद्धि का यह रूझान जारी रहेगा क्योंकि मुद्रास्फीति की दर मध्यवर्ती सप्ताहों के दौरान बढ़ने के बाद 4.62% के स्तर से घटकर 5.11.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए 4.14% हो गयी। सुविधा के लिए 1.1.2006 से वृद्धिदर 4% निर्धारित की गई है।

6. मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए यह तीसरा सं ोधन किया गया है और यह 1.1.2006 से प्रभावी होगा। नई दरें, उपभोक्ताओं, केबल ऑपरेटरों/मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा जनवरी 2006 के लिए किए जाने वाले भुगतान से लागू होंगी।

7. केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) के संबंध में 4% की यह वृद्धि 1.12.2004 के पूर्ववर्ती अधिसूचना के माध्यम से 1.1.2005 से अनुमेय 7% की वृद्धि पर लागू होगी। मुद्रास्फीति के कारण कुल वृद्धि (1.1.2005 से अनुमेय 7% की वृद्धि और 1.1.2006 से लागू 4% की प्रस्तावित वृद्धि) का 26.12.2003 को मौजूद केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा के संदर्भ में आकलन किए जाने पर कुल वृद्धि 11.28% (7%+4%+7% का 4%) आकलित की गई है।

8. उदाहरण के लिए यदि 26.12.2003 को केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) 200 रू. प्रतिमाह था तो मुद्रास्फीति के समायोजन के कारण 1.1.2005 से 7% तथा 1.1.2006 से 4% के अनुमेय दरों पर कुल वृद्धि 22.56 रूपये [7/100 * 200) + (4/100 * 200) + (4/100 * 14)] आकलित की जाएगी। इस उदाहरण के अनुसार जनवरी, 2006 के लिए कुल केबल बिल 222.56 रू. (200+14. 00+8.00+0.56) आकलित की जाएगी। 26.12.2003 के मौजूद केबल प्रभारों की अधिकतम सीमा के संदर्भ में मुद्रास्फीति के कारण कुल वास्तविक वृद्धि अलग–अलग होगी जो उपभोक्ता/केबल ऑपरेटर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में 26.12.2003 को मौजूद वास्तविक केबल प्रभारों पर निर्भर करेगा।

9. प्राधिकरण ने चैनलों की अलग–अलग चैनलों के रूप में मुहैया कराने न कि समूह के रूप में मुहैया कराने, 26.12.2003 के बाद भाुरू किए गए चैनलों की कीमत तथा ऐसे चैनलों की कीमत जो एक वितरक को छोड़कर दूसरा वितरक अपना लेती हैं, जैसे टैरिफ से संबंधित कतिपय मुद्दों पर अलग से पराम र्श पत्र जारी किया है। पराम र्श प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद इन मुद्दों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

*****